Form No-|||

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम.....रायसिंहनगर

नवराज सिंह बनाम भोजा सिंह आदि

किस्म मुकदमा 88,92ए,209 आरटीए नम्बर .....136 सन् 2023

जी.सी.एम.एस. आईडी 2023/ 291

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
1.08.2023	वादी की ओर से श्री सुखदेव सिंह बुट्टर अधिवक्ता ने वाद–पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 28.08.2023 को पेश हो। (पवन कुमार) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर 288 वकील पक्षकारान हाजिर। श्रीमान् एसडीएम साहब अहकाम/चुनाव/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है, पेशी दिनांक 6/7/23 को पेश हो 22/07/23 आज वादी कुसुमलता वाली माता परिवार श्री सुखदेव सिंह बुट्टर अधिवक्ता के साथ स्वयं पेश होकर पत्रावली पढ़ी मैं लौटाई। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादी पुत्री होने के कारण मैं अपने अधिकारों से वंचित होते हुए मौजूदा स्थिति में विवाह करना चाहती है। अतः वादी के कथन को अंकित करवाने के अधिकार [illegible] हुए प्रकरण को [illegible] समाप्त कर प्रकरण [illegible] जाता है। पत्रावली के साथ [illegible] पत्र है। [illegible] न्यायालय के [illegible] बनाया जाये उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	917 22/8/23 Amandeep Kaur 22/8/23

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2023.10.07 12:14:58 IST
Reason: SelfAttested